न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा
मैसर्स वण्डर सीमेन्ट लि० बनाम राजस्थान स[illegible]
GCMS No- 2024/642
प्रकरण संख्या 191/2024

न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ(राज.)

पीठासीन अधिकारी :–विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 191/2024
जीसीएमएस न0 2024/642

1. मैसर्स वण्डर सीमेंट लिमिटेड जरिये प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता शैलेन्द्र सिंह शक्तावत निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा।

––– प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

––– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1– प्रार्थी स्वंय – अधिवक्ता प्रार्थीया
2–

:: निर्णय ::

दिनांक:– 23.09.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131,136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भट्टकोटड़ी के हाल आराजी नंबर 871/1 में से ई.न. 1103 दिनांक 01/06/2012 से रकबा 5.85 हैक्टेयर मै. वंडर सीमेंट लिमिटेड के नाम लीज में दर्ज हुआ है जो जमाबंदी 2067–2070 के खाता नंबर 245 पर अमल हुआ है। वक्त रोटेशन कंपनी के नाम दर्ज भूमि का अंकन आगे की जमाबंदी में नहीं किया गया है। नक्शे में भी अंकन नहीं हुआ है। आदेश में उक्त आराजी का दक्षिणी हिस्सा रकबा 5.85 हैक्टेयर कंपनी के नाम दर्ज किया जाना स्पष्ट अंकित है। अतः आराजी नंबर 871/1 रकबा 12.50 हैक्टेयर में से दक्षिणी भाग 5.85 हैक्टेयर मै. वण्डर सीमेंट के नाम लीज में दर्ज करवाने व नक्शा तरमीम कराने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया विपक्षी क्रमांक तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने मय अनुशंषा जांच रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रस्तुत की और निवेदन किया कि ग्राम भट्टकोटड़ी की आराजी नंबर 871/1 रकबा 12.51 हैक्टेयर में से वादी कंपनी मै. वण्डर सीमेंट लिमिटेड को 5.85 हैक्टेयर भूमि ना.क. संख्या 1103 से लीज में आवंटित हुई है जो सहवन से 5.85 के बजाय 5.05 हैक्टेयर ही दर्ज हो जाने से शेष रकबा 0.80 हैक्टेयर वादी कंपनी के नाम व तरमीन कराने हेतु जांच रिपोर्ट निम्नानुसार है:–

   1. ग्राम भट्टकोटड़ी के ना.क. संख्या 1103 से [illegible] साबिक आराजी नंबर 1 मीन रकबा 49.08 बीघा में से बटा नंबर 869/[illegible] रकबा [illegible] बीघा (5.85 हैक्टेयर) दक्षिण दिशा का बिलानाम माइनिंग लीज वण्डर [illegible] कंपनी के नाम दर्ज होकर जमाबंदी 2047–[illegible] में अमल हुआ है।

   2. उक्त आराजी नंबर 869/1 का नवीन भू–प्रबंध आराजी नंबर 910/871 रकबा 5.05 हैक्टेर ही दर्ज हुआ है। इस प्रकार वादी कंपनी के नाम आराजी नंबर 910/871 में रकबा 0.80 हैक्टेयर कम दर्ज व तरमीम कम हुआ है जो दुरस्ती योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.11.08 15:08:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Scanned by CamScanner

3. गत साबिक आराजी नंबर 869/1 मीन रकबा 49.08 बीघा में से वादी कंपनी को ना.क. संख्या 1103 से 23.02 बीघा आंवटन के बाद (49.08–23.02) = 26.06 बीघा (6.65 हैक्टेयर) है। शेष रकबा 1 मीन नंबर में बचता है जबकि 1 मीन साबिक नंबर के हाल आराजी नंबर 1/871 का रकबा 7.45 हैक्टेयर दर्ज होकर रकबा 0.80 हैक्टेयर बेशी दर्ज हुआ है। जो रेकॉर्ड अनुसार वादी कंपनी के नाम दर्ज होना उचित है। मौका पर हाल आराजी नंबर 910/871 व 1/871 के दक्षिण दिशा के रकबा 0.80 हैक्टेयर पर वादी कंपनी का कब्जा होकर पक्की दिवार बनी हुई है। किस्म भूमि 1/871 रकबा 7.45 खनन क्षेत्र चारागाह दर्ज है।

4. ग्राम भट्टकोटड़ी की हाल आराजी नंबर 910/871 रकबा 5.05 में मैं. वण्डर सीमेंट लिमिटेड के नाम ना.क. संख्या 1103 से दर्ज रकबा 5.85 हैक्टेयर के मुकावले 0.80 हैक्टेयर कम दर्ज हुआ है और यह कम रकबा इसी के मीन आराजी नंबर 1/871 में 6.65 हैक्टेयर के बजाय 7.45 हैक्टेयर दर्ज होकर 0.80 हैक्टेयर बेशी दर्ज है। जो गत रेकॉर्ड के मुकाबले संशोधन उचित है। संशोधन सारणी निम्नानुसार है।

वर्तमान प्रविष्टि				संशोधित प्रविष्टि		
1	आराजी नंबर	रकबा	किस्म	आराजी नंबर	रकबा	किस्म
1	1/871	7.45	चरनोट खनन प्रयोजनार्थ	1/871	6.65	चरनोट खनन प्रयोजनार्थ
2	910/871	5.05	खनन प्रयोजनार्थ बिलानाम माइनिंग लीज वण्डर सीमेंट लिमिटेड मकराना रोड़ मदनगंज किशनगढ़ अजमेर हिस्सा पूर्ण लीज होल्डर	910/871	5.85	खनन प्रयोजनार्थ बिलानाम माइनिंग लीज वण्डर सीमेंट लिमिटेड मकराना रोड़ मदनगंज किशनगढ़ अजमेर हिस्सा पूर्ण लीज होल्डर

5. दोंनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया।

6. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

> *136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any R[illegible]*
>
> *Provided that wh[illegible] Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parti[illegible]*

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.11.08 15:08:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राज.) चित्तौड़गढ़ जिला

6. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Scanned by CamScanner

अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमावंदी में खातेदारी संवंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

7. प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों एवं दस्तावेजों के आधार पर एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा की जांच रिपोर्ट का संक्षिप्त सार यह है कि ग्राम भट्टकोटड़ी के हाल आराजी नंबर 871/1 में से ई.न. 1103 दिनांक 01/06/2012 से रकबा 5.85 हैक्टेयर मै. वण्डर सीमेंट लिमिटेड के नाम लीज में दर्ज हुआ जो वक्त रोटेशन कंपनी के नाम दर्ज भूमि का अंकन वर्तमान जमाबंदी में 5.05 हैक्टेयर ही किया गया है। सहवन से असल छूट जाने से आराजी नंबर 871/1 के दक्षिणी हिस्सा रकबा 5.85 हैक्टेयर मै. वण्डर सीमेंट लिमिटेड के नाम इंद्राज दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

तहसीलदार निम्बाहेडा से मय अभिशंषा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम भट्टकोटडी की आराजी नम्बर 910/871 का रकबा 5.05 हैक्टेयर के बजाए 5.85 हैक्टेयर भूमि तथा आराजी नम्बर 1/871 का रकबा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार दक्षिण दिशा से कम करते हुए 7.45 हैक्टेयर के बजाए 6.65 हैक्टेयर भूमि दर्ज किया जावे। तहसीलदार निम्बाहेडा से प्राप्त प्रस्तावित मौका रिपोर्ट अनुसार दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड में किये जाने का आदेश दिये जाते है। नक्शा ट्रेस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(विकास पंचौली)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.11.08 15:08:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner